



लोक सूचना अपीलारी प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी के. के. शर्मा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/65/2020 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांक:- 24.07.2020

श्री चन्द्रप्रकाश पुरोहित निवासी चन्दनपुरा मंदिर के पास, चित्तौड़गढ़
बनाम
सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, चित्तौड़गढ़

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

निर्णय

दिनांक 18.08.2020




सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 09.06.2020 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 65/2020/(18.08)/501 दिनांक 27.07.2020 से सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 18.08.2020 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 18.08.2020 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखा कि मेरे द्वारा जो सूचना मांगी गई है वह तहसीलदार के पास है फिर भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। जिला रेकॉर्ड रूम से नकलें प्राप्त की (प्रति संलग्न) उससे जानकारी मिली की वांछित सूचना की पत्रावली तहसीलदार के पास है अतः मुझे वांछित सूचना दिलाने का आदेश प्रदान करावें।




लोक सूचना अपीलारी प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 65/2020 (सू.अ.)
श्री चन्द्रप्रकाश पुरोहित निवासी चित्तौड़गढ़ बनाम सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, चित्तौड़गढ़

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ ने उक्त प्रकरण में आदिनांक तक कमेंट्स प्रस्तुत नहीं किए।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 09.06.2020 से 1 बिन्दु पर सूचना/प्रमाणित प्रतिलिपियां चाही गई, परन्तु सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ की टिप्पणी प्राप्त नहीं होने के कारण यह स्पष्ट नहीं है कि उनके स्तर पर इस आवेदन पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को 15 दिवस में वांछित सूचना निः शुल्क उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें।



(के. क. शर्मा)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र./सरिश्ता/प्र.सं./65/2020(सू.अ.)/538

दिनांक:- 18/08/2020

प्रतिलिपि:-

1. सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, चित्तौड़गढ़
2. श्री चन्द्रप्रकाश पुरोहित निवासी चन्दनपुरा मंदिर के पास, चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ़ (राज.)